न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–01 / 2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अचलाराम पुत्र भेराराम 2. किशनाराम पुत्र खेगाराराम जाति जाट निवासी जैलमाणी सारणों का तला, कोशलु, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. खेताराम पुत्र पुरखाराम 2. गिरधारीराम पुत्र पुरखाराम 3. जीयाराम पुत्र पुरखाराम जातियान जाट निवासी जैलमाणी सारणों का तला, कौशलु तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा 4. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक–05.09.2024

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा– जैलमोणी सारणों का तला के खसरा संख्या 13 रकबा 2.7991 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 18.06.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी [illegible] पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभा[illegible] हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार सिणधरी द्वारा [illegible] विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे पक्षकारान की ओर से [illegible]जन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:17:07 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा– जैलमोणी सारणों का तला के खसरा संख्या 13 रकबा 2.7991 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

कं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा नं.	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म भूमि	लगान (रू0)	बरंग
1.	अचलाराम पुत्र श्री भेराराम हि. 1/2 किशनाराम पुत्र श्री खेंगाराराम हि. 1/2 जांति जाट सा. जैमलाणी सारणों का तला	जैमलाणी सारणों का तला	13	0.0647	बा.सो.	0.01	लाल
2.	खेताराम पुत्र श्री पुरखाराम हि. 58/169 गिरधारीराम पुत्र श्री पुरखाराम हि. 107/338 जीयाराम पुत्र श्री पुरखाराम हि. 115/338 जाति जाट सा. जैमलाणी सारणों का तला	जैमलाणी सारणों का तला	13	2.7344	बा.सो.	0.16	आसमानी

तहसीलदार,सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:17:07 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

पीठासीन अधिकारीः— श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.

उनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अचलाराम पुत्र भेराराम 2. किशनाराम पुत्र खेगाराराम जाति जाट निवासी जैलमाणी सारणों का तला, कोशलु, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. खेताराम पुत्र पुरखाराम 2. गिरधारीराम पुत्र पुरखाराम 3. जीयाराम पुत्र पुरखाराम जातियान जाट निवासी जैलमाणी सारणों का तला, कौशलु तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा 4. तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबतः— ,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :— 51/2021

निर्णय दिनांक :—05.09.2024

वादी की ओर से **श्री जोगराज पोटलिया** अधिवक्ता, श्री भंवरलाल चौधरी प्रतिवादी सं. 1 से 3 एवं राज. पैरोकर की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.09.2024 को **श्री जगदीशसिंह आशिया** (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः—** वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 05.09.2024 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 05.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:17:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
...ों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	
		6.कमिश्नर की फीस	
		जोड़	